लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3520

उत्तर देने की तारीख : 10.08.2021

भिक्षुकों के लिए योजनाएं

3520. श्री एस. जगतरक्षकन:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/स्थानीय शहरी निकायों और स्वयंसेवी संगठनों, संस्थाओं आदि के सहयोग से भिक्षावृत्ति में लगे व्यक्तियों के लिए किसी योजना की संभावनाओं का पता लगाया जा रहा है/पता लगा लिया है जिसमें उनकी पहचान, पुनर्वास, चिकित्सा सुविधाओं का प्रावधान, परामर्श, शिक्षा, कौशल विकास को कवर किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा भिक्षुक समुदाय के सदस्यों को व्यावसायिक कौशल प्रदान किया जा रहा है/प्रदान किया गया है ताकि वे स्वयं आय उत्पन्न करने वाले कार्यकलाप शुरू कर सकें या लाभप्रद ढंग से नियोजित हो सकें; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री ए. नारायणस्वामी)

(क) और (ख): सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने "**स्माइल** – लाभवंचित व्यक्तियों की आजीविका और उद्यम के लिए सहायता" नामक एक स्कीम बनाई है जिसमें 'भिक्षावृत्ति में लगे व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की उप-स्कीम' शामिल है। इस स्कीम के अंतर्गत भिक्षावृत्ति में लिप्त पाए गए व्यक्तियों के पुनर्वास, चिकित्सा सुविधाओं के प्रावधान, परामर्श, मूल-प्रलेखन, शिक्षा,कौशल विकास, आर्थिक लिंकेज और अन्य सुविधाओं पर व्यापक रूप से ध्यान केन्द्रित किया जाता है।

इस स्कीम के अंतर्गत आगामी 05 वर्षों के लिए वित्तीय लक्ष्यों का ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(ग) और (घ): मंत्रालय ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) को भिक्षावृत्ति में लगे व्यक्तियों के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों के संचालन हेतु 1.50 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। अभी तक, भिक्षावृत्ति में लगे 514 व्यक्तियों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

अनुबंध

"भिक्षुकों के लिए योजनाएं" के संबंध में लोक सभा दिनांक 10.08.2021 को उत्तर के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 3520 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

क्रम सं.	वर्ष	अपेक्षित निधि (रुपए करोड़ में)
1.	2021-22	50.00
2.	2022-23	33.00
3.	2023-24	33.00
4.	2024-25	33.00
5.	2025-26	33.00
	कुल	**182.00**

*****